हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जिस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/2/18 पत्रावली पेश हुई/वकील/अपज-अ) पत्रावली वास्ते जवाब दि. 16.3.18 को पेश हो। [illegible]	
16/3/18 पत्रावली पेश हुई, वादी/प्रतिवादी [illegible] पेश हो। [illegible] दि. 30.6.18 को पेश हो।	
30.6.18 पत्रावली लोक अदालत कैम्प खेड़ली तंवरान में पेश हुई। उभयपक्ष मजमे आम में उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। वादी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53-188 काश्तकारी एक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम 253 रकबा 0.59 हे0 भूमि में से 0.37 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 को बेचान कर दिये जाने के बाद शेष आराजी रकबा 0.22 हे0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 को पाबंद किये जाने के कथन किये गये है। जबकि प्रतिवादी नं0 1 ने कथन किये कि वह अपनी खरीद शुदा आराजी रकबा 0.37 हे0 भूमि पर ही काबिज काश्त है तथा वर्तमान में मनोहर का विवादित आराजी में कोई अधिकार शेष नहीं है। प्रकरण में पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल किया गया। जवाब में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 253 रकबा 0.59 हे0 भूमि में से 0.37 हे0 भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं शेष रकबा 0.22 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाने से 0.22 हे0 भूमि सिवायचक सरकार दर्ज है। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि रकबा 0.37 हे0 भूमि का बेचान प्रतिवादी नं0 1 को कर दिये जाने से वर्तमान में उक्त भूमि पर केवल प्रतिवादी नं0 1 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। शेष रकबा 0.22 हे0 मिल्कियत सरकार दर्ज होने से वादी का कोई विधिक हक/अधिकार नहीं है तथा वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी को मजमे आम में सुने जाने के	Yogesh Pandey [illegible] रकबा 0.37 [illegible] 0.22 [illegible] Yogesh Pandey

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	पश्चात् वादी ने आदेशिका पर उपस्थिति दर्ज करनें से स्पष्ट इंकार कर दिया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विधिक विचारण किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं0 2063–66 से वादी को न्यायालय आदेश से 0.59 हे0 भूमि पर गैरखातेदार दर्ज करनें के आदेश दिये थे, किन्तु जवाब सरकार में कथन किये गये है कि वादी को मात्र 0.37 हे0 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा शेष रकबा 0.22 हे0 सिवायबक दर्ज किया गया। इस प्रकार वादी की खातेदारी में 0.37 हे0 भूमि थी, जिसका बैचान वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 को कर दिया गया है तथा वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 ही ख0नं0 253 रकबा 0.37 हे0 भूमि का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का विवादित आराजी के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई स्वत्व प्रमाणित नहीं है। जिससे वादी धारा 53–188 आरटीएक्ट में रिलीफ प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः वादी वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

नाज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खेड़ली तंवरान

उनवान

गणेश पुत्र गोपिया जाति माली निवासी खेड़ली तंवरान तहसील दीगोद हाल निवास बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

—वादी

बनाम

1. योगेश पंचोली पुत्र इन्द्र कुमार पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी सांई कुटिया रेतवाली कैथूनी पोल कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53—188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर—4 / 10

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रू—ब—रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner